निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 23/2022
दायरा दिनांकः—13.04.2022
निर्णय दिनांकः— 5.11.24

उनवान

1. भूपेन्द्र आयु 29 वर्ष पुत्र मणीशंकर जाति ढीमर निवासी ग्राम रींझा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामचन्द्र आयु 85 वर्ष पुत्र गौरिया उर्फ गौरीलाल जाति ढीमर निवासी रींझा
2. बंशीलाल आयु 75 वर्ष पुत्र गौरिया उर्फ गौरीलाल जाति ढीमर निवासी रींझा
3. रामस्वरूप आयु 70 वर्ष पुत्र गौरिया उर्फ गौरीलाल जाति ढीमर निवासी रींझा
4. भगवती प्रसाद आयु 75 वर्ष पुत्र गौरिया उर्फ गौरीलाल जाति ढीमर निवासी रींझा
5. द्वारका बाई आयु 60 वर्ष पुत्री गौरिया उर्फ गौरीलाल जाति ढीमर निवासी रींझा
6. कमला बाई आयु 50 वर्ष पुत्री गौरिया उर्फ गौरीलाल जाति ढीमर निवासी रींझा
7. रामविलास आयु 50 वर्ष पुत्र रामचन्द्र जाति ढीमर निवासी रींझा
8. मोहनीबाई आयु 52 वर्ष पुत्री रामचन्द्र जाति ढीमर निवासी रींझा
9. बृजराज आयु 22 वर्ष पुत्र रामविलास जाति ढीमर निवासी रींझा
10. गुमान सिंह आयु 25 वर्ष पुत्र मणीशंकर जाति ढीमर निवासी रींझा
11. रेखा बाई आयु 52 वर्ष पत्नि स्व0 मणीशंकर जाति ढीमर निवासी ग्राम रींझा
12. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 5.11.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भवर सिंह जादौन — प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश सुमन — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी कम 1 व अप्रार्थी कम 9 ता 10 के परदादा अप्रार्थी कम 2 ता 6 के पिता व अप्रार्थी कम 7 ता 8 के दादा व अप्रार्थी कम 11 के दादी ससुर गौरिया उर्फ गौरीलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 58 की भूमि खसरा नम्बर 20 की रकबा 5 बीघा 03 बिस्वा खसरा नम्बर 25 की रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा खसरा नम्बर 26 की रकबा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 27 की रकबा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 38 की रकबा 17 बिस्वा खसरा नम्बर 173 की रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा. कुल किता 06 की रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि वाके माल रीझा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित था इसी प्रकार भूमि खाता संख्या 57 की खसरा नम्बर 184 की रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 209/05 की रकबा 1 बीघा कुल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कता 2 की रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि वाके माल रींझा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 व 3 में वर्णित भूमियांत प्रार्थी के परदादा गौरिया उर्फ गौरीलाल की पैत्रक भूमि है, जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हिस्सा निहित है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में हिस्सा 1/36 व अप्रार्थी कम 10 व 11 का हिस्सा 2/36 व अप्रार्थी कम 2 ता 6 का हिस्सा 1/6–1/6 व अप्रार्थी कम 7 ता 8 का हिस्सा 2/18 निहित है। जिसे अप्रार्थी कम 1 रामचन्द्र ने छल–कपट बेईमानी व विधि विरूद्ध तरीके से अपने पौते अप्रार्थी कम 9 बृजराज के नाम बिना प्रतिफल राशि अदा किये एक बेय नामा दिनांक 7/06/2019 को उप पंजियक कार्यालय छबड़ा में उपस्थित होकर बृजराज के नाम तस्दीक करवा लिया, जबकि उक्त भूमि पैत्रक भूमि होने के कारण अप्रार्थी कम 1 रामचन्द्र को अपने हिस्से 1/24 से अधिक हिस्से की भूमि बेचान करने का अधिकार नहीं था, जो अवैधानिक खिलाफ कानून होने से स्वत निरस्तनीय है, तथा इसके आधार पर खुलवाया गया इंतकाल नम्बर 385 वाके माल रींझा खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमियात में प्रार्थी तथा अप्रार्थी कम 10 व 11 गुमानसिंह व रेखाबाई का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी कम 7 रामविलास का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी कम 8 मोहनीबाई का हिस्सा 1/4 स्थित है। प्रार्थी कम 1 रामचन्द्र की उम्र अत्यधिक होने से उनकी सुनने तथा अपना भला–बुरा समझने की क्षमता कम हो गई है, जिसके कारण अप्रार्थी कम 7 रामविलास व अन्य रिश्तेदार उनकी इस अवस्था का नाजायज व अनुचित लाभ उठाकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमियात जबरन बेईमानी विधि विरूद्ध तरीके से हडपने पर आमादा है, तथा अप्रार्थी कम 1 उनके बहकावें आकर प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमियात को तुरन्त ही हस्तान्तरित करने पर आमादा है। प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 रामचन्द्र की प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित भूमियात मे अपना हक हिस्सा रखता है यदि अप्रार्थी कम 1 रामचन्द्र ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 मे वर्णित भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि से महरूम हो जावेगा इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी कम 1 की भूमियात मे अपना हक रेवेन्यु रिकार्ड मे दर्ज करवाकर अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाकर पृथक खाते दर्ज करवाना चाहता है ताकि अप्रार्थी कम 1 प्रार्थी के हिस्से की भूमियात को कही खुर्द–बुर्द नही कर सके। अप्रार्थी कम 1 रामचन्द्र ने प्रार्थना पत्र की मदं संख्या 2 मे वर्णित भूमि की तरह प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित भूमियात को कही खुर्द–बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को ऐसी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सभंव नही हो सकेगी। तथा उसको अनेकोनेक वाद विवाद मे उलझकर समय व धन बर्बाद करना पड़ेगा। यह कि प्राईमा फैसाई केस एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में ना होकर प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रींझा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 57 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रींझा तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी गोरिया उर्फ गोरीलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की थी विवादित आराजी पैत्रक आराजी है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा निहित है अप्रार्थी क्रम 1 रामचन्द्र ने अपने पोते अप्रार्थी क्रम 9 के नाम जर्ये बयनामा दिनांक 07.06.2019 को पंजीयन कार्यालय

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तस्दीक करवा लिया अप्रार्थी क्रम 1 को पैत्रक आराजी को रहन बेचान करने का कोई अधिकार नही था। रामचन्द्र के खातेदारी की आराजी को हडपने की नियत से रहन बेचान कराने पर आमादा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जावे। प्रार्थी को स्थगन आदेश देने में मुझ अप्रार्थीगण को कोई आपात्ति नही है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रींझा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 58 के अनुसार रामचन्द्र बंशीलाल, रामस्वरूप, भगवती प्रसाद पुत्र गोरिया, द्वारका बाई, कमला बाई पुत्री गोरिया, कोम ढीमर सा0देह का नाम दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 385 दिनांक 07.06.2019 से जर्ये रजिस्टर्ड बेचान खातेदार रामचन्द्र का सम्पूर्ण हिस्सा 1/6 क्रेता बृजराज सिंह पुत्र रामविलास के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम रींझा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 57 में रामचन्द्र पुत्र गोरीलाल जाति ढीमर सा0देह दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी रामचन्द्र के खातेदारी की है जिसमें प्रार्थी अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहता है चुंकि रामचन्द्र द्वारा अपने बेटे के पुत्र बृजराज सिंह के नाम 1/6 का जर्ये रजिस्टर्ड बेचान किया गया। अतः मूल वाद के निस्तारण होने तक वाद–विवाद को रोकने हेतु राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रींझा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 184 रकबा 11.14 बीघा एवं खसरा नम्बर 209/05 रकबा 1 बीघा पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा